कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग(छ0ग0)

।। शर्त ।।

(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य जीरो वेस्ट योजना अंतर्गत वार्डों की सम्पूर्ण सफाई कार्य ठेके के माध्यम से कराये जाने बाबत्)

नगर पालिक निगम दुर्ग स्थित निम्नलिखित वार्ड (Group-A) वार्ड क्रमांक 23, 24, 25, 26, 27 (Group-B) वार्ड क्रमांक 28, 29, 30, 31, 32 (Group-C) वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Group-D) वार्ड क्रमांक 46, 47, 48, 49, 50 (Group-E) वार्ड क्रमांक 17, 18, 18, 20, 21, 22 (Group-F) वार्ड क्रमांक 43, 44, 45 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जीरो वेस्ट योजना अंतर्गत वार्डों में स्थित नालियों, सड़को, मैदानों, सार्वजनिक तालाबों के आस–पास, सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों की सफाई तथा उत्पन्न कचरे का संग्रहण/परिवहन तथा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण कर संबंधित क्षेत्र के जीरो वेस्ट सेन्टर में कचरे का पृथककरण कर अलग–अलग संग्रहण एवं विक्रय तथा गीले कचरे से कम्पोस्टींग विधि द्वारा खाद् तैयार कर/बायोगैस तैयार कर विकय करने तथा शासन के द्वारा निर्धारित दर पर युजर चार्ज वसूली का कार्य हेतु स्थानीय सी0डी0एस0/महिला समूह/एन0जी0ओं0/ठेकेदार से तीन लिफाफा पद्धति से स्पीड पोष्ट के माध्यम से दिनांक .. .. संध्या .... बजे तक अभिव्यक्ति की रूचि आमंत्रित की जाती है । जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

उपरोक्त कार्यो के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार दर आमंत्रित की जाती है :–

1. आहूत निविदा अनुबंध तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा कार्य की गुणवत्ता के आधार पर जिसे आगे 3 वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा। निविदा स्पीड पोष्ट के माध्यम से तथा तीन लिफाफा पद्धति से स्वीकार किये जायेंगे । निविदा में स्थानीय सी0डी0एस0/महिला समूह/एन0जी0ओ0/ठेकेदार भाग ले सकेंगें। उक्त कार्य के लिए दर, बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है । निविदाकार को निगम द्वारा किये गये स्वीकृत दर के आधार पर यूजर चार्ज प्रतिमाह वसूलना होगा। जिसका विवरण राजपत्र के प्रकाशित दर अनुसार होगा।
2. डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन कर कचरे का पृथक करण एजेंसी द्वारा किया जाएगा । प्लास्टीक, कपड़ा, कागज, कांच, लोटा आदि का विकय एजेंसी द्वारा किया जाएगा । Bio degradable को सड़ाकर खाद् या बायो गैस बनाया जा सकेगा । इस हेतु स्थल निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । अन्य संसाधन ऐजेन्सी स्वयं तैयार करेगा । तैयार किए गए खाद बायों गैस से प्राप्त आय ठेकेदार की होगी। एवं प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग लिफाफा मे भर कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार को प्रत्येक ग्रुप हेतु आमनती राशि 25,000/- एफ0डी0आर0/डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा । निविदा स्वीकृति पश्चात प्रत्येक ग्रुप हेतु 2.00 लाख रूपयें का बैंक गारंटी/एफ0डी0आर0/डी0डी0 भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

महिला स्वसहायता समूह को अमानत राशि जमा करने से छूट रहेगी।

3. असफल निविदाकारों को अमानत राशि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी ।
4. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
5. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों का निपटान स्वयं करना होगा । इस सम्बन्ध में नगर निगम पार्टी नहीं होगी ।
6. रिक्शा/ई-रिक्शा/आटो उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जावेगी । रिक्शा- 18, ई-रिक्शा- 2, आटो- 2, ट्रेक्टर-ट्राली- 1, जिसका मेंटेनेंस डीजल, ड्रायवर ठेकेदार द्वारा किया जावेगा । अनुपलब्धता की स्थिती में निविदाकार को संशाधन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. कचरा तीन भाग में पृथक-पृथक एकत्रित करना होगा। जिसमे गीला/सुखा/ई वेस्ट अपशिष्ट होगे।

(अ) 500 वर्गफीट की जगह कचरा पृथककरण एवं प्रोसेसिंग हेतु उपलब्ध करायी जावेगी ।

(ब) सड़ने योग्य कचरे को ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थल पर खाद् निर्माण हेत प्रक्रिया करना होगा ।

(स) न सड़ने वाले कचरे अर्थात् पॉलीथीन, लोहा, टिन, कांच , बाटल आदि को पृथक करण कर अलग-अलग व्यवस्थित रखना होगा ।

(द) 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैंस प्लांट भी निगम द्वारा प्रदाय किया जाएगा, जिसका संचालन करना होगा।

8. निविदाकार को नीचे दिए गए विकल्प "A" अथवा "B" में से एक को भरना होगा। दोनो विकल्प नही भरने है। दोनो विकल्प भरने पर निविदा निरस्त हो जाएगी।

(A) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अन्तर्गत नालियों, सड़को, मैदानों, सार्वजनिक तालाबों के आस-पास, सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों की सफाई तथा उत्पन्न कचरे का संग्रहण/परिवहन तथा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथककरण कर प्रोसेसिंग कर खाद् तैयार कर विक्रय करने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर युजर चार्ज वसुली का कार्य संबंधी शर्तो का पालन करते हुए नगर निगम दुर्ग को रूपयें .... प्रतिमाह दूंगा ।

अथवा

(B) उक्त कार्य करने हेतु शर्तो का पालन करते हुए रूपयें .... नगर निगम दुर्ग से लुंगा ।

उपरोक्तानुसार कार्यो का संपादन करते हुए राजपत्र में प्रकाशित दर के अनुसार सेवा शुल्क लिये जाने संबंधित सूची :–

S.NO.	CATEGORY	MONTHLY FEE
1	**House Holds**	20
	<500 Sqft	30
	501-750 Sqft	50
	>1000 Sqft	100
2	**Restaurant**	
	<25 Seats	500
	25-50 Seats	1000
	>50 Seats	1500
3	**Hotels/Lunges/Guest Houses**	
	<25 Rooms	1000
	26-50 Rooms	5000
	>50 Rooms	15000
4	**Dharamshala**	
	Per Rooms	10
	Per Halls	200
5	**Marriage Hall**	10000
6	**Educational Institutions**	
	Primary School(Public)	250
	Primary School(Pvt.)	500
	High School(Public)	2500
	High School(Pvt.)	5000
	Colleges	2000
	University	5000
	Other Educational Institutions	1000
7	Hospitals/Nursing Homes	
	<20 Beds	5000
	21-100 Beds	7500
	>100 Beds	10000
8	Other Hospitals	500
	Pthology Lab	1500
9	Commercial Establishments	
	<100 Sqft	100
	101-300 Sqft	300
	301-500 Sqft	750
	>501 Sqpf	1500
	Shopping Mall	1.50 Per Sqft
	Per Sqft	
10	Vegetable/Fruit/Flower/Fish/Mutton Market	
	Truck for Loading/Unloading	
	Per LCB	75